न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, भरतपुर

पीठासीन अधिकारीः– श्री ब्रजेश कुमार चान्दोलिया आर.ए.एस.

अपील संख्याः–177/2022 (GCMS No. 2022/183) (धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

1. वेदकुमारी पुत्री श्री केशवसिंह पत्नी श्री ओमवीरसिंह चाहर जाति जाट निवासी हाउसिंग बोर्ड कालोनी धौलपुर।

.....अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार धौलपुर।

.....रेस्पोडेंट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट विरूद्ध आदेश न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर दिनांक 10.10.2022 मुकदमा नम्बर 43/21 उनवान सरकार बनाम वेदकुमारी।

उपस्थितिः–

1. अपीलांट की ओर से श्री राजेन्द्र सिंह राना, वकील।

नि र्ण य **दिनांक : 24.04.2024**

1. यह अपील भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत जिला कलक्टर धौलपुर के आदेश दिनांक 10.10.2022 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलांट के पक्ष में दिनांक 23.06.86 को खसरा नम्बरान 2311/608 एवं 2317/1132 वांके ग्राम विशनौदा का आवंटन हुआ। तहसीलदार धौलपुर द्वारा प्रार्थना पत्र 14(4) कृषि आवंटन नियम 1970 उनवानी सरकार बनाम वेदकुमारी जिला कलक्टर धौलपुर के यहॉ प्रस्तुत किया। जिला कलक्टर धौलपुर द्वारा दिनांक 10.10.2022 को प्रार्थना अन्तर्गत नियम 14(4) स्वीकार कर अपीलांट के पक्ष में हुये आवंटन को निरस्त करने का आदेश पारित कर दिया। उक्त अपीलाधीन आदेश से व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है। ।
2. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेंट की ओर से पैरवी हेतु कोई भी हाजिर अदालत नहीं आया।
3. हमने अपीलांट की अपील पर बहस सुनी।
4. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने दौराने बहस अपने अपील मीमो में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए दलील दी कि अपीलांट के पक्ष में दिनांक 23.06.86 को खसरा

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

नम्बरान 2311/608 एवं 2317/1132 वांके ग्राम विशनौदा का आवंटन हुआ। तहसीलदार धौलपुर ने उक्त आवंटन को निरस्त कराने हेतु 36 वर्ष बाद अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14(4) राज0 भू–राजस्व अधिनियम कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 पेश किया जिसके निर्णय दिनांक 10.10.2022 द्वारा अपीलान्ट का आवंटन दिनांक 23.06.1986 निरस्त किया गया। आवंटन के बाद अपीलांट ने आवंटित भूमि पर भौतिक कब्जा प्राप्त करके निरन्तर काश्त किया है और आवंटन की समस्त नियमों की पूरी पालना की है। अपीलांट हाउसिंग बोर्ड धौलपुर की निवासी है। आवंटित भूमि आवंटन के समय ऊबड–खाबड एवं नाकाबिल काश्त थी, जिसको अपीलांट ने काफी मेहनत करके एवं लागत से काबिल काश्त बनाया तथा खसरा नम्बर 2317/1132 को समय–समय पर फसल गेहूँ एवं सरसों बोकर काश्त किया है जिसका इन्द्राज संबंधित राजस्व अभिलेखों में अंकित है। पटवारी हल्का विशनौदा द्वारा अपीलांट की पीठ पीछे आशय की गलत रिपोर्ट दी कि मौके पर जगराम पुत्र रामभरोसी जाति कुशवाह के कहने पर अपीलांट का कब्जा नहीं होना कथन करते हुये प्रस्तुत की। अपीलांट द्वारा की गई काश्त को किसी अन्य दीगर व्यक्ति की काश्त होना पटवारी द्वारा गलत अंकित किया गया है। यदि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा काश्त की गई होती तो पटवारी द्वारा अपनी रिपोर्ट में उस व्यक्ति का नाम अंकित किया गया होता। खसरा नम्बर 2311/608 में आवंटन के समय काफी गहरे गड्डे के रूप में थी जिसे अपीलांट द्वारा काफी सीमा तक भराव किया मगर पूरी तरह से समतल जमीन नहीं हो सकी। रेस्पो. द्वारा अपने आवेदन में इस प्रकार की आपत्ति ली गई है कि आवंटन के दो वर्ष के अन्दर काश्त नहीं की गई है इसलिए आवंटन निरस्त किया जावे। इस प्रकार की आपत्ति आवंटन के तीन वर्ष के अन्दर–अन्दर ली जा सकती है जो 36 वर्ष आपत्ति की गई और अपीलांट का आवंटन निरस्त किया गया है। आवंटन के तीन वर्ष बाद आवंटी को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं और खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के बाद आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता है। अपीलांट भूमिहीन कृषक है और आवंटन की पात्र थी इस संतुष्टि के बाद ही आवंटन हुआ। आवंटन नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि जिस गांव की जमीन है उसी गांव का आवंटन होना आवश्यक है। इस आधार पर आवंटन अवैध नहीं माना जा सकता है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

5. अपीलांट की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रिकार्ड का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर द्वारा अपने निर्णय में अंकित किया है कि उपलब्ध रिकार्ड, पटवारी

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

हल्का की रिपोर्ट, मौका पर्चा ग्राम विशनौदा दिनांक 05.01.2021 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 2311/608 रकवा 0.8219 हैक्टे. भूमि मौके पर पोखर स्वरूप स्थिति में है। जिसपर आवंटी का कब्जा नहीं है और खसरा नम्बर 2317/1132 रकवा 1.2645 हैक्टे. पर दीगर व्यक्तियों के द्वारा फसल की जाती है। उक्त खसरा नम्बर पर भी आवंटी का कब्जा नहीं है। इस संबंध में अपीलांट द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज यथा नकल खसरा गिरदावरी वर्ष 1986 से 1990 पेश नहीं की जिससे साबित होता हो कि अपीलांट विवादित आराजी के मौके पर आवंटन शर्तों के मुताबिक लगातार काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा हो। अधीनस्थ न्यायालय ने आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालन नहीं करने से आवंटन निरस्त किया गया है। राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियमों में आवंटन की शर्त संख्या 3 इस प्रकार है कि– "आवंटी को भूमि काश्त के अधीन लानी होगी तथा वह उसका समुचित उपयोग करेगा। परन्तु यह है कि तहसीलदार द्वारा यह कालावधि एक वर्ष तक बढाई जा सकेगी, यदि अकाल्पनिक कारणों से जिन पर आवंटितों का कोई नियंत्रण न होने के कारण निर्धारित कालावधि में भूमि पर काश्त करने में असमर्थ रहा हो।" काश्त करने का साक्ष्य खसरा गिरदावरी होती है जो आवंटन के समय से लगातार वर्षों की आवंटी द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई। मौका रिपोर्ट में अंकित किया कि आवंटी का भूमि पर कब्जा नहीं तथा मौके पर भूमि पोखर स्वरूप है जिसमें बरसात का पानी भरा रहता है। इस प्रकार विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा दी गई दलीलों से सहमत नहीं हुआ जा सकता है। अधीनस्थ न्यायलय द्वारा विधि सम्मत आदेश पारित किया है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते है। उक्त विवेचन के मध्येनजर अपीलान्ट की अपील स्वीकार किये जाने योग्य नही है।

6. फलस्वरूप अपीलांट की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर का निर्णय दिनांक 10.10.2022 यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।
7. निर्णय आज दिनांक 24.04.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

24/4/24

(ब्रजेश कुमार चान्दोलिया)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर